निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के साथ आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक 20.01.2016 को अपरान्ह 12.30 बजे माननीय अध्यक्ष महोदया के कक्ष में श्री मनोज कुमार, निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के साथ पंचायती राज संस्थाओं के लेखों की ऑडिट एवं इन संस्थाओं के आय–व्यय के आंकड़ों की उपलब्धता के संबंध में चर्चा की गई। चर्चा के दौरान श्री एस. सी. देराश्री, सदस्य सचिव, राज्य वित्त आयोग एवं श्री राजेश गुप्ता, संयुक्त सचिव, राज्य वित्त आयोग भी उपस्थित थे।

1. चर्चा के प्रारम्भ में माननीय अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग ने इंगित किया कि आयोग पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों से पिछले पाँच वर्षो की मदवार आय–व्यय एवं भावी आवश्यकताओं हेतु प्रश्नावलियाँ भेजकर सूचनाऐं एकत्रित करने की कार्यवाही कर रहा है लेकिन ग्राम पंचायतों की संख्या 9894 होने से सूचना एकत्रिकरण में समय लग रहा है तथा प्राप्त हो रही सूचनाओं में काँट–छाँट से इसकी प्रामाणिकता भी प्रभावित होती है। अतः आयोग स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग से अंकेक्षित आंकड़ो की उपलब्धता की संभावनाओं को तलाशने हेतु यह बैठक आयोजित की गई है। साथ ही 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर अगले वित्त वर्ष से मिलने वाले परफोरमेन्स अनुदान में अंकेक्षित लेखों की उपलब्धता की शर्त के मध्यनजर पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के अंकेक्षण की नवीनतम स्थिति की जानकारी किया जाना भी अपेक्षित है।

2. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण ने बताया कि उनके विभाग द्वारा सभी संस्थाओं का ऑडिट समय पर पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन विभाग में ऑडिट दलों के एक तिहाई पद रिक्त है जिससे यह कार्य समय पर पूरा होने में कठिनाई आ रही है। जहाँ तक 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा परफोरमेन्स अनुदान जारी करने के लिये अंकेक्षित लेखों की उपलब्धता की शर्त का प्रश्न है निदेशक ने बताया कि यह तथ्य उनकी जानकारी में है तथा विभाग वर्ष 2014 तक के लेखे अंकेक्षित कराने के प्रयास कर रहा है।

3. जहाँ तक पंचायती राज संस्थाओं की अंकेक्षित आय–व्यय सूचना की उपलब्धता की स्थिति है निदेशक ने बताया कि विभाग के ऑडिट दलों ने जिन संस्थाओं के वर्ष 2014 तक का ऑडिट कर लिया है उनके वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के आय–व्यय आंकड़े उपलब्ध हो सकते हैं। जहाँ तक जिला परिषद एवं पंचायत समितियों का प्रश्न है इनकी ऑडिट रिपोर्ट विभाग द्वारा जारी कर कार्यालय प्रति विभाग के स्थानीय अधिकारियों के कार्यालयों में रखी जाती है लेकित ग्राम पंचायत संबंधी ऑडिट रिपोर्ट/सूचनाऐं संबंधित जिला परिषदों को पालनार्थ भिजवा दी जाती है। फिर भी स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के पास जो सूचनाऐं उपलब्ध है उन्हें वित्त आयोग को उपलब्ध कराने मे पूर्ण सहयोग करेगा।

4. इस संबंध में अंकेक्षण विभाग के पास उपलब्ध सूचनाओं की स्थिति की जानकारी के लिये अपरान्ह 3 बजे सदस्य सचिव के कक्ष में दुबारा बैठक हुई जिसमें निदेशक के साथ विभाग के अतिरिक्त निदेशक, विभाग के जयपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त निदेशक एवं आयोग के संयुक्त निदेशक तथा आयोग के सलाहकार ने भाग लिया।

5. विभाग के निदेशक एवं अधिकारियों ने पंचायत समिति स्तर पर ऑडिट के दौरान एकत्रित आय–व्यय एवं अन्य सूचनाओं से अवगत कराया तथा नमूने के तौर पर दो

पंचायत समितियों की सूचना की प्रतिलिपियाँ भी उपलब्ध कराई। जहाँ तक ग्राम पंचायतों की आय–व्यय की सूचना का प्रश्न है निदेशक ने क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक को इस बारे में दिनांक 21.01.2016 को वस्तुस्थिति से राज्य वित्त आयोग को अवगत कराने हेतु निर्देश दिये।

6. निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग ने यह भी व्यक्त किया कि आयोग को विभाग से जो भी सूचना की आवश्यकता है वह विभाग में उपलब्ध होने पर उपलब्ध कराई जा सकेगी तथा आयोग के निर्देश पर यथा संभव आवश्यकता पडने पर एकत्रित भी की जा सकेगी। विभाग ने विधानसभा की जनलेखा समिति को प्रस्तुत लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 की प्रतियाँ भी उपलब्ध कराई।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

(एस. सी. देराश्री)
सदस्य सचिव
राज्य वित्त आयोग

राजस्थान सरकार
पंचम राज्य वित्त आयोग
प्रथम तल, बी–ब्लाक, वित्त भवन, जन पथ, जयपुर– 302005
फोन नं.– 0141–2742881, 2742833, फैक्स नं.– 2742875
Website: www.sfc.rajasthan.gov.in
E-mail Address: sfc-5@rajasthan.gov.in

प.5(34) पं.रा.वि.आ. / 2015 / 571 - 574 जयपुर, दिनांक 21.01.2016

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अध्यक्षा, राज्य वित्त आयोग, वित्त भवन, जयपुर।
2. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, राज्य वित्त आयोग, जयपुर।
4. सलाहकार, राज्य वित्त आयोग, जयपुर।

सदस्य सचिव